

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2293/421

दिनांक:15.02.2024

सेवा में,

श्री सालिम पुत्र हमीद
मोहनपुर गाडा, पोस्ट जन्धेडा,
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001(मो. न.9837995427)

विषय :आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2024 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपका आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2024 जो कि पावरग्रिड मोहनपुर गाडा पुहाना रुडकी हरिद्वार 400के. वी. की टावर लाईन निर्माण के दौरान मुआवजा दिए जाने के सम्बंध में । इस संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई बिंदुवार जानकारी निम्नलिखित है:

बिंदु न.	बिंदुसार	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	क्या आप बताएंगे मोहनपुर गाडा के किसानो को टावर लाईन बनाने के दौरान किस को कितना मुआवज दिया गया अलग-अलग नाम से बताये पेडो की संख्या व गोलाई के अनुसार बताए ।	मांगी गई जानकारी किसी भी किसान कि निजी जानकारी है जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (j) एवं 8(1) (g) के तहत छूट प्राप्ति है ।
2	किसानो मे नाम अखतर हसन, हनीफा, जब्बार, वसील, महबूब, जरीना, मुजम्मीत, मुद्दसीर, असलम, गधूर, हारुन, सालिम हमीद, एवं जब्बार हमीद टोटल 12 नाम है बताये जाय ।	मांगी गई जानकारी निजी जानकारी है जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (j) एवं 8(1) (g) के तहत छूट प्राप्ति है । आपसे सम्बंधित क्षतिग्रस्त पेडो के मुआवजा वितरण की जानकारी आपने अपने इस आर. टी आई प्रार्थना पत्र के बिंदु न. 4 में दिया हुआ है । किसान हारुन को मुआवजा नहीं दिया गया है । आपके द्वारा लिखे गए किसान अखतर हसन, हनीफा, जब्बार, वसील, महबूब, जरीना, मुजम्मीत, मुद्दसीर, असलम, गधूर इत्यादि को राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग के दिशानिर्देशन पर मुआवजा वितरण किया गया ।



3.	जैसे पेडो की गोलाई 010=2030=3040=4050=5060=6070= 7080=8090=90100= रकम बताये---- पेडो की गोलाई के अनुसार रकम बताये।	पेडों की गोलाई के अनुसार मुआवजे की दर की जानकारी सम्बंधित विभाग द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
4	सालिम हमीद को 53425 रुपये दिये गये, जब्बार हमीद को 439895 रुपये दिये गये पेडो की गोलाई के साथ रकम बताये।	आपसे सम्बंधित जानकारी : गोलाई = पेड = दर = राशि पोपुलर = 0-30 = 71 = 75 = 5325 पोपुलर = 31-60 = 28 = 400 = 11200 पोपुलर = 61-90 = 9 = 1300 = 11700 पोपुलर = 91-120 = 9 = 2800 = 25200
5	सालिम हमीद को, जब्बार हमीद को जो मुआवजा दिया गया किस रेट से दिया गया बताये। प्राईवेट रेट से या सरकारी रेट से बताये (हा) या (ना)। क्या टावर का मुआवजा दिया गया बताये टावर न. 35/4 का कितना दिया गया बताये, किसको दिया गया।	मुआवजा भुगतान से सम्बंधित राशि सम्बंधित राजस्व विभाग एवं वन विभाग एवं भारत सरकार द्वारा पारित आदेशो एवं अधिनियमो के अनुसार किया जाता है। सालिम हमीद को, जब्बार हमीद को केवल 35/4 टावर निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त पेडो एवं फसल का ही मुआवजा दिया गया।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002, फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय

[जी. पी. पयासी]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियंत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न. 0129-2666305

CIN No. L40101DL1989GOI038121

उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, एस.सी.ओ.-बे संख्या 5 से 10, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5 to 10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002